

अनुदान संख्या 2 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
GRANT No. 2-DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	2460,00,00		
पूरक	Supplementary	3,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		2304,38,46	-155,64,54
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
पूरक	Supplementary	96,00,00	96,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचते/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2415"	Major Head "2415"			
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	Agricultural Research and Education			
मू.	O.	229635.00		
पू.	S.	3.00	241455.84	230296.38
पु.	R.	11817.84		-11159.46
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	16200.00		
पु.	R.	-15200.00	1000.00	.. -1000.00

(I) 16210.00 लाख रु. का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 16100.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" -

(क) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 700.00 लाख रु.;

(ख) "बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 200.00 लाख रु.;

(ग) "कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 3500.00 लाख रु.;

(घ) "कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 2200.00 लाख रु.;

(ङ) "बाह्य रूप से सहायताप्राप्त परियोजनाएं/स्कीमें - कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 1500.00 लाख रु.;

(खा) "मृदा एवं जल संरक्षण - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, कृषि वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 1000.00 लाख रु.;

(गा) "पशु पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - पशु विज्ञान संस्थान, डेरी अनुसंधान संस्थानों और स्कीमों सहित अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 1200.00 लाख रु.;

(घा) "मत्स्य पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - मत्स्य पालन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 300.00 लाख रु.; और

(डा) "सामान्य (कृषि अनुसंधान और शिक्षा) - अन्य संस्थाओं को सहायता - केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान" - 5500.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.16210.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these Rs.16100.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Crop Husbandry- Assistance to I.C.A.R." -

(a) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" - Rs.700.00 lakhs;

(b) "Horticulture Institutes, Research and Education Schemes" - Rs.200.00 lakhs;

(c) "Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes" - Rs.3500.00 lakhs;

(d) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" - Rs.2200.00 lakhs;

(e) "Externally Aided Projects/Schemes- Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" - Rs.1500.00 lakhs;

(B) "Soil and Water Conservation - Assistance to ICAR - Other Natural Resource Management Institute, Research and Education Schemes including Agro - Forestry Research and Education Schemes" - Rs.1000.00 lakhs;

(C) "Animal Husbandry - Assistance to ICAR - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes" - Rs.1200.00 lakhs;

(D) "Fisheries - Assistance to ICAR - Fisheries Institutes, Research and Education Schemes" - Rs.300.00 lakhs; and

(E) "General (Agril. Res.& Edn.)- Assistance to Other Institutions - Grants-in-aid to Central Agricultural University, Imphal" - Rs.5500.00 lakhs.

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2415" - "फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 4779.35 लाख रु. की बचत (नवम्बर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 0.35 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 50550.35 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति/विशेष वित्त समिति द्वारा विभिन्न चालू/नई स्कीमों के अंतर्गत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के अधीन उपकर की निवल आय की अदायगी" - 2620.65 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम 1940 को निरस्त कर दिए जाने की वजह से नई स्कीम स्वीकृत न किए जाने के कारण हुई।

(गा) "बाह्य रूप से सहायताप्राप्त परियोजनाएं/स्कीमें" - 18430.00 लाख रु. की बचत (27000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अवसंरचना विकास संबंधी प्रस्तावों/उप परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 72.84 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (20757.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2415" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत नवम्बर, 2007 और मार्च, 2008 में 3.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" -

Provisions under the above nine heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2415" - "Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R." - savings occurred under the following heads:-

(A) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" - saving of Rs.4779.35 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.50550.35 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.35 lakh obtained in November, 2007 and March, 2008) was due to non-clearance of proposals under various ongoing/new schemes by Expenditure Finance Committee/Special Finance Committee.

(B) "Payment of Net Proceeds of Cess under Agricultural Produce Cess Act, 1940" - saving of Rs.2620.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to non-sanctioning of new scheme owing to repeal of agricultural produce cess act, 1940.

(C) "Externally Aided Projects/Schemes" - saving of Rs.18430.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.27000.00 lakhs) was due to non-clearance of proposals/sub-projects on infrastructure development.

(III) Under one head saving of Rs.72.84 lakhs occurred constituting 19 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.20757.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.3.00 lakhs in November, 2007 and March, 2008 under Major Head "2415" - under the following heads:-

(A) "Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R." -

- (क) “बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 2011.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2010.65 लाख रु. था।
- (ख) “एएसआरबी और डीआईपीए सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें तथा आईपीआर प्रबंधन एवं निरीक्षण समिति” - 1087.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1086.70 लाख रु. था।
- (ग) “कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 4758.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4757.65 लाख रु. था।
- (घ) “कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 7260.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 7259.55 लाख रु. था।
- (ङ) “कृषि इंजीनियरी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 494.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 493.90 लाख रु. था।
- (खा) “मृदा और जल संरक्षण - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, कृषि वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 2912.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2911.70 लाख रु. था।
- (गा) “पशु पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - पशु विज्ञान संस्थान, डेरी अनुसंधान संस्थानों और स्कीमों सहित अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 1419.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1418.70 लाख रु. था।
- (ग) “मत्स्य पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - मत्स्य पालन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीम” - 816.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 815.90 लाख रु. था।
- (II) बचतें मुख्य शीर्ष “2415” - “सामान्य” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-
- (a) “Horticulture Institutes, Research and Education Schemes” – Rs.2011.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2010.65 lakhs.
- (b) “ICAR Headquarter Administration including ASRB and DIPA, Research and Education schemes & IPR Management & Oversight Committee” - Rs.1087.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1086.70 lakhs.
- (c) “Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes” - Rs.4758.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4757.65 lakhs.
- (d) “Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes” - Rs.7260.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.7259.55 lakhs.
- (e) “Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes” - Rs.494.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.493.90 lakhs.
- (B) “Soil and Water Conservation – Assistance to I.C.A.R. - Other Natural Resource Management Institute, Research and Education Schemes including Agro - Forestry Research and Education Schemes” - Rs.2912.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2911.70 lakhs.
- (C) “Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes” - Rs.1419.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1418.70 lakhs.
- (D) “Fisheries – Assistance to I.C.A.R. - Fisheries Institutes, Research and Education Scheme” - Rs.816.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.815.90 lakhs.
- (II) Savings were also offset by excess under Major Head “2415” – “General” – under the following heads:-

(का) “अन्य संस्थाओं को सहायता - केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान” - 5500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य कार्यक्रम” - 200.14 लाख रु. का अधिक व्यय (950.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष 2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(A) “Assistance to Other Institutions – Grants-in-aid to Central Agricultural University, Imphal” – excess of Rs.5500.00 lakhs (against nil provision); and

(B) “International Co-operation – Other Programmes” – excess of Rs.200.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.950.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.